आयोजनागत / जिला योजना
संख्या–950 / XXIV(8) / 2005

प्रेषक,

के.के. पन्त,
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्राविधिक शिक्षा उत्तरांचल,
श्रीनगर गढ़वाल।

शिक्षा अनुभाग–8 (तकनीकी) देहरादून: दिनांक 09, दिसम्बर,2005

विषयः– जिला योजना के अन्तर्गत धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–1899 / नि0प्रा0शि0 / प्लान–छै–05 / 2005–06 दिनांक 15.9.2005 के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या–82 / प्रा.शि. / 2003 दिनांक 29.3.2003 द्वारा राजकीय पाली0 गौचर में टाइप–4 तथा टाइप–1 के एक–एक भवन के आवास निर्माण हेतु उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम इकाई श्रीनगर द्वारा गठित आंगणन पर रू0 10.82 लाख के आंगणन पर वित्तीय / प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए रू0 10.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी थी। अतः अवशेष धनराशि रू0 0.82 लाख (रूपये बयासी हजार मात्र) की स्वीकृति, शासनादेश संख्या–416 / XXIV(8) / 2005– 56 / 2004 दिनांक 20.5.2005 द्वारा जिला योजना– पालीटेक्निक का सुदृढ़ीकरण– वृहद निर्माण कार्य हेतु आपके निर्वतन पर रखी गयी धनराशि रू0 27.12 लाख में से, प्रदान करते हुए व्यय करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

2– इसी प्रकार, शासनादेश संख्या–75 / प्रा.शि. / 2004 दिनांक 28.2.2004 द्वारा राजकीय पाली0 गौचर के छात्रावास के चारों ओर बाउन्ड्रीवाल के निर्माण हेतु उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम इकाई श्रीनगर द्वारा गठित आंगणन पर रू0 13.89 लाख के आंगणन पर वित्तीय / प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए रू0 10.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी थी। अतः अवशेष धनराशि रू0 3.89 लाख (रूपये तीन लाख नवासी हजार मात्र) की स्वीकृति, शासनादेश संख्या–416 / XXIV(8) / 2005– 56 / 2004 दिनांक 20.5.2005 द्वारा जिला योजना– पालीटेक्निक का सुदृढ़ीकरण– वृहद निर्माण कार्य हेतु आपके निर्वतन पर रखी गयी धनराशि रू0 27.12 लाख में से, प्रदान करते हुए व्यय करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

3– साथ ही, शासनादेश संख्या–75 / प्रा.शि. / 2004 दिनांक 28.2.2004 द्वारा राजकीय पाली0 द्वाराहाट के खेल मैदान के समतलीकरण / पहुंचमार्ग हेतु उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम इकाई अल्मोडा द्वारा गठित आंगणन पर रू0 8.91 लाख के आंगणन पर वित्तीय / प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए पूर्व स्वीकृत धनराशि रू0 2.00 लाख के अतिरिक्त रू0 5.31 लाख की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी थी। अतः अवशेष धनराशि रू0 1.60 लाख (रूपये एक लाख साठ हजार मात्र) की स्वीकृति, शासनादेश संख्या–416 / XXIV(8) / 2005– 56 / 2004 दिनांक 20.5.2005 द्वारा जिला योजना– पालीटेक्निक का सुदृढ़ीकरण– वृहद निर्माण कार्य हेतु आपके निर्वतन पर रखी गयी धनराशि रू0 27.12 लाख में से, प्रदान करते हुए व्यय करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

4– आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत / अनुमोदित दरों को जो दरें शिडयूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं है, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय।

5– कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन / मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय।

6– कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना कि स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

7– एक मुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

8– उक्त कार्य की लागत किसी भी दशा में पुनरीक्षित नहीं की जायेगी तथा शेष शर्ते पूर्व में जारी उक्त शासनादेश के अनुसार रहेगी।

9– कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टयों के अनुरूप ही कार्य को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

10– कार्य कराने से पूर्व समस्त स्थल का भली–भांति निरीक्षण उच्च अधिकारियों के साथ अवश्य करा लें। निरीक्षण के पश्चात स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जाये।

11– आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृति की गयी है, उसी मद पर व्यय किया जाए, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

12– निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टैस्टिंग करा ली जाय, तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग लाया जाए।

13– इस संबंध में होने वाला चालू वित्तीय वर्ष 2005–06 के अनुदान संख्या–11 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक– 4202– शिक्षा खेलकूद तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय– 02– तकनीकी शिक्षा– 104– बहुशिल्प – आयोजनागत–00– 03– राजकीय बहुधन्धी संस्थाओं के (पुरूष/ महिला) भवन का निर्माण / सुदृढीकरण – 24– वृहद निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।

14– यह आदेश वित्त विभाग अशासकीय संख्या–220/वित्त अनुभाग–3/2005 दिनांक 6.12.2005 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(के.के. पन्त)
अपर सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तरांचल, देहरादून।
2. कोषाधिकारी, पौड़ी।
3. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तरांचल, देहरादून।
4. वित्त अनुभाग–3/ नियोजन अनुभाग।
5. राष्ट्रीय सूचना केन्द्र सचिवालय परिसर, देहरादून।
6. परियोजना प्रबन्धक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम, श्रीनगर/अल्मोड़ा।
7. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन, सचिवालय देहरादून।
8. जिलाधिकारी चमोली/अल्मोड़ा, उत्तरांचल।
9. आयुक्त कुमायूं / गढ़वाल मण्डल, उत्तरांचल।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(संजीव कुमार शर्मा)
अनुसचिव।